This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 मई, 2014 / 5 ज्येष्ठ, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 मई, 2014

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 90 / 2010.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव आंजी, तहसील व जिला सोलन में सोलन–राजगढ बाईपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है। 3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता ,लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	पुराना खसरा न0(साबक)	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)	खसरा नम्बर(हाल)	क्षेत्र(बीघा–बिस्वा)
सोलन	सोलन	आंजी	716 / 439 / 255	0–16	716 / 439 / 255 / 1	0–04
			856 / 71 / 256	0–13	856 / 718 / 256	0–13
			251	1–4	711 / 252 / 1	0–10
			171	0–12	171 / 1	0–3
			703 / 172	6–7	703 / 172 / 2 / 1	0–1
			183	0–18	183	0–18
			249	2–2	249 / 1	0–3
			992 / 188	2–0	992 / 188 / 1	0–14
			189	5–16	189 / 1	0–18
			200	8–2	1128 / 200 / 1	0–16
					1130 / 200 / 1	0–8
			854 / 230	9–3	854 / 230 / 1	2–17
			202	2–14	202 / 1	1–13
			203	1–10	203 / 1	0–13
			190	2–14	1119 / 190 / 1	0–10
					1120 / 190 / 1	0–12
			995 / 707 / 191	1–18	1121 / 995 / 707 / 191	0–5
			994 / 707 / 191	0–4	994 / 707 / 191	0–4
			193	3–13	193 / 1	0–5
			156	2–0	156 / 1	0–12
			154	12–7	154 / 1	2–17
					किता 21	15–16

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
अति0 मुख्य सचिव(लोक निर्माण)।

————————

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT (B) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 7th *April,* 2014

No. SJE-B-C(1)2/2013-SSP.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the amendment in Rule 4 (1), (2) & (3) of Social Security Pension Rules, 2010 notified by this Department vide Notification No. SJE-B-C(1)2/2010 dated 29th June, 2010 *vide* which the figures "₹ 9000/" & "₹15000/-" are herewith substituted with "₹ 35000/-" per annum (excluding the income of MNREGA) for availing the benefits of Welfare Schemes.

By order,
DR. P. C. KAPOOR,
Additional Chief Secretary (*SJ&E*).

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT (B) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 5th *March,* 2014

No. SJE-B-C(1)2/2013-SSP.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Rule No.7 of Social Security Pension Rules, 2010 notified by this department's notification No. SJE-B-C(1)2/2010 dated 29-6-2010 :—

The rate of Social Security Pension being provided to the Old persons, Widows, Descrted Women, Disabled/Handicapped persons and Lepers will be ₹ 550/- (*w.e.f.* 1-4-2014) per month in place of ₹ 500/- per month.

The rate of Social Security Pension for disabled/Handicapped persons with disability 70% or more will be ₹ 750/- (*w.e.f.* 1-4-2014) per month in place of ` 500/- per month.

All the persons above than 80 years of age, except who are drawing any other pension will be given pension at the rate of ₹1000/- (*w.e.f.* 1-4-2014) per month irrespective of any income limit.

Besides, the above the Government has also approved the 12000 pending applications in respect of Social Security Pension *w.e.f.* 1-4-2014.

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (*SJ&E*).

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT (B) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 9th *May,* 2014

No.SJE-B-C(10)-45/09(HS).—The Governor, Himachal Pradesh, in continuation of this department's notification of even number dated 17th September, 2012, and in pursuance of notification of the same number dated 17th September, 2012, is pleased to increase the amount of "Housing Repair Subsidy" from ₹ 15,000/- to ₹ 25,000/- per beneficiary with effect from 1-4-2014.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (*SJ&E*).

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT-B DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, 171002, the 9th *May, 2014*

No. SJE-B-C (10)-45/09(HS).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Grant of Housing Subsidy to Backward

Classes Rules,1975 notified vide this department's Notification No. 22-2/69-Vol-II-Wel.Sectt. dated 22-8-1975 published in the Rajpatra on 20-9-1975, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These Rules shall be called the Himachal Pradesh Grant of Housing Subsidy to Backward Classes (12th Amendment) Rules, 2014.

(2) These Rules shall come into force with effect from the date of issue of this notification.

2. Amendment of Rule 3(1).—In the proviso of Rule 3(1) of the Himachal Pradesh Grant of Housing Subsidy to Backward Classes Rules,1975, the figure of Rs. 17,000/- shall be substituted with Rs. 35,000/- as income ceiling for poverty line.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (SJ&E).

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 मई, 2014

संख्या टी0 पी0 टी0–ए(2)–2 / 2003–पार्ट–11.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 211 और 212 के साथ पठित धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड (vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5–24 / 88–टी.पी.टी.–II तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं;

इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को यदि उक्त नियमों की बाबत, कोई आक्षे या सुझाव है, तो वह उसे / उन्हें प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार को इन प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा ;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 67 का प्रतिस्थापन.**––हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 67 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

" 67 अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने, प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए आवेदन फीस–(1) अधिनियम के अधीन अनुज्ञा–पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने, प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए

आवेदन के साथ निम्नलिखित फीस के जमा किए जाने वाली नकद रसीद या ट्रेजरी चालान संलग्न किया जाएगा, अर्थात्:–

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	अस्थायी अनुज्ञापत्र	नियमित अनुज्ञापत्र
(i)	हल्के (माल) मोटरयान	रू0 50	रू0 100
(ii)	मध्यम/भारी (माल) मोटरयान	रू0 100	रू0 200
(iii)	संविदा गाड़ी (कान्ट्रेक्ट कैरिज कैवज़/ओटा रिक्शा)	रू0 50	रू0 100
(iv)	संविदा गाड़ी (कान्ट्रेक्ट कैरिज़) मैक्सी कैबज़	रू0 100	रू0 200
(v)	संविदा गाड़ी (कान्ट्रेक्ट कैरिज) बसें	रू0 100	रू0 500
(vi)	प्रत्येक क्षेत्र के लिए जीप, मंजिली गाड़ी, (चालक को छोड़ कर के 12 यात्रियों तक के बैठने की क्षमता)	रू0 100	रू0 500
(vii)	प्रत्येक क्षेत्र के लिए अन्य मंजली गाड़ी (स्टेज कैरिज) या प्राइवेट सेवा यान	रू0 100	रू0 500
(viii)	अधिनियम की धारा 88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा–पत्र फीस	रू0 10	रू0 200

परन्तु भारत में विदेशी राज दूतावासों को उनके अपने स्वामित्वाधीन परिवहन यानों की बाबत जारी किए गए अनुज्ञा–पत्र के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी।

(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञा–पत्र के लिए आवेदन या अनुज्ञा–पत्र के प्रतिहस्ताक्षर के लिए फीस प्राप्त होने पर प्ररूप एच0पी0 34 आर0पी0एफ0 में एक पृथक् रसीद तैयार करेगा जो फीस देने वाले व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी ।"

3. नियम 68 का प्रतिस्थापन.––उक्त नियमों के नियम 68 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

" 68. अनुज्ञा–पत्रों और प्रतिहस्ताक्षरों के लिए फीस,–

(1) अधिनियम के अधीन अनुज्ञा–पत्र जारी करने, नवीकृत करने के लिए निम्नलिखित फीस संदेय होगी, अर्थात्:–

(क) यानों की विशिष्टियां अनुज्ञा–पत्र प्रदान करने नवीकृत करने/प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए फीस

		नियमित प्रथम वर्ष प्रत्येक	पश्चात्वर्ती वर्ष
	माल गाड़ी		
(i)	हल्के माल यान	रू0 400	रू0 250
(ii)	मध्यम माल यान	रू0 600	रू0 500
(iii)	भारी माल यान	रू0 900	रू0 750
	(ख) संविदा (कांट्रेक्ट) गाड़ी		
(i)	टैक्सी कैब्ज	रू0 200	रू0 125
(ii)	ऑटो रिक्शा	रू0 300	रू0 200
(iii)	मैक्सी कैब्ज	रू0 750	रू0 450
(iv)	तीस सीटों तक वाली संविदा (कांट्रेक्ट) बसें	रू0 1500	रू0 1250
(v)	तीस सीटों से अधिक वाली संविदा (कान्ट्रेक्ट) बसें	रू0 3000	रू0 2500
	(ग) मंजिली गाड़ी		
(i)	जीप मंजिली गाड़ियां	रू0 1000	रू0 625
(ii)	मिनी / बड़ी बसें	रू0 900	रू0 750
	(घ) प्राइवेट (निजी) सेवा यान	रू0 900	रू0 750

परन्तु जहां धारा 70 या धारा 73 या धारा 76 या धारा 77 के अधीन अनुज्ञा–पत्र हेतु किसी आवेदन के विचार के लिए लम्बित होने पर, अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया है, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार आरै ऐसे निदेशों, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियमित अनुज्ञा–पत्र प्रदान करते समय जारी किए गए हैं, यदि कोई हैं, के अध्यधीन निदेश दे सकेगा कि अस्थायी अनुज्ञा–पत्र के लिए संदत्त की गई किसी फीस के किसी भाग या सम्पूर्ण के बराबर की राशि की, नियमित अनुज्ञा–पत्र के लिए संदे फीस में से कटौती की जाएगीः

परन्तु यह और कि मंजिली गाड़ी की सेवा (सर्विस) की दशा में अनुज्ञा–पत्र में विनिर्दिष्ट यानों की संख्या के आधार पर अनुज्ञा–पत्र फीस प्रभारित की जाएगी तथा अनुज्ञा–पत्र के भाग–ख को तद्नुसार उतनी संख्या में जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः–

(1) इस नियम और नियम 89 में प्रयुक्त पद "नियमित अनुज्ञा–पत्र" से, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी आवेदन पर विचार करने के पश्चात् जारी किया गया अनुज्ञा–पत्र अभिप्रेत है।

(2) फीस, उस अवधि जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को अग्रिम में संदत्त की जाएगी।

(3) अनुज्ञा–पत्र या अनुज्ञा–पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए फीस प्राप्त करने वाला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञा–पत्र के प्रत्येक भाग ख के लिए एच0पी0 प्ररूप 34 आर0पी0एफ0 में अलग रसीद तैयार करेगा, जो फीस देने वाले व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(4) यदि, अनुज्ञा–पत्र तत्पश्चात् रद्द कर दिया जाता है तो अनुज्ञा–पत्र के लिए संदत्त फीस समपहृत हो जाएगी।"

4. धारा 69–क का प्रतिस्थापन.––उक्त नियमों के नियम 69–क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

" 69–क अखिल भारतीय अनुज्ञा–पत्रों के लिए कम्पोजिट फीस–पर्यटन यानों की बाबत, जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान अखिल भारतीय अनुज्ञा–पत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है, कम्पोजिट फीस निम्नलिखित दरों पर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी, अर्थात्:–

(क) चालक को अपवर्जित करके बारह यात्रियों से अधिक की बैठने की क्षमता रखने वाले ।	रू0 2000 रू0 4000 रू0 6500	साधारण सेमी/डीलक्स वातानुकूलित प्रतिदिन चौबीस घंटे के आधार पर
(ख) चालक को अपवर्जित करके छह यात्रियों से अधिक किन्तु बारह यात्रियों से अनधिक की बैठने की क्षमता रखने वाले।	रू0 1200/ रू0 25000/ रू0 40000/	तीन दिन के लिए या छह मास के लिए या एक वर्ष के लिए
(ग) चालक को अपवर्जित करके छह से अनधिक की बैठने की क्षमता रखने वाले।	रू0 500/ रू0 3000/ रू0 5000/	तीन दिन के लिए या छह मास के लिए या एक वर्ष के लिए ।"

आदेश द्वारा,
(के. संजय मूर्ति),
प्रधान सचिव (परिवहन)।

————————

[Authoritative English Text of this department notification NO. TPT-A(2)2/2003-Part-II , dated /01/2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24 May, 2014

No. TPT-A(2)2/2003-Part-II.—In exercise of the powers conferred by clause (vii) of sub-section (2) of section 96 read with sections 211 and 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, notified *vide* this department notification No. 5-24/88-TPT-II, dated 12th July, 1999 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary), dated 27th July, 1999;

If any interested person likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to the said rules, he may send the same to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come in force from the date of their publication in the Rajpatra.

2. Substitution of rule 67.—For rule 67 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999 (hereinafter referred to as the "said rules"), the following shall be substituted, namely :—

"67. Application fee for countersignatures, grant or renewal of permit :— (1) Application for countersignatures, grant or renewal of a permit under the Act shall be accompanied by cash receipt or a treasury challan showing the deposit of following fees, namely:—

	Category of vehicle	**Temporary permit**	**Regular Permit**
(i)	Light (Goods) motor vehicles	₹50	₹100
(ii)	Medium/heavy (Goods) motor vehicles	₹100	₹200
(iii)	Contract Carriage cabs/auto rickshaws	₹50	₹100
(iv)	Contract Carriage maxi-cabs	₹100	₹200
(v)	Contract Carriage buses	₹100	₹500
(vi)	Jeeps stage carriage (seating capacity upto 12 passenger excluding driver) for each region	₹100	₹500
(vii)	Other stage carriage and private service vehicles for each region	₹100	₹500
(viii)	Special permit fee under section 88(8) of the Act.	₹10	₹200

Provided that no fee shall be payable for a permit issued to Foreign Embassies in India in respect of transport vehicles owned by them.

(2) A Regional Transport Authority receiving a fee for an application for a permit or the countersignature of a permit shall prepare a separate receipt in Form HP XXXIV RPF which shall be delivered to the person tendering the fees".

3. Substitution of rule 68.—For rule 68 of the said rules, the following shall be substituted, namely :-

68. Fees for permits and countersignatures-

(1) The following fees shall be payable for the issue , renewal and for counter signatures of permit under the Act, namely:-

(a) Particular of vehicles Permit fee for grant/renewal/counter signature.

		Regular first year	Each subsequent year.
	GOODS CARRIAGE		
(i)	Light Goods Vehicle	₹400	₹250
(ii)	Medium Goods Vehicles	₹600	₹500
(iii)	Heavy Goods Vehicles	₹900	₹750
(b)	CONTRACT CARRIAGE		
(i)	Taxi cabs/	₹200	₹125
(ii)	Auto rickshaws	₹300	₹200
(iii)	Maxi cabs	₹750	₹450
(iv)	Contract Carriage buses upto 30 seater	₹1500	₹1250
(v)	Contract Carriage Buses above 30 seater	₹3000	₹2500
(c)	STAGE CARRIAGE		
(i)	Jeep Stage Carriages	₹1000	₹625
(ii)	Mini/ Big Buses	₹900	₹750
(d)	Private Service Vehicles	₹900	₹750

Provided that where a temporary permit is granted pending consideration of an application for a permit under section-70, or section-73, or section-76, or section-77, Regional Transport Authority may, in its discretion and subject to such directions, if any, as may be issued by the State Transport Authority , at the time of granting a regular permit direct that a sum equal to a part or the whole of any fee paid, for the temporary permit shall be deducted from the fee payable for the regular permit:

Provided further that in the case of service of stage carriage, the permit fee shall be charged on the basis of number of vehicles to be specified in the permit and accordingly numbers of parts B of the permit shall be issued.

Explanation:-

(1) The expression “regular permit” used in this rule and in rule 89 means a permit issued after consideration of an application in accordance with the provisions of the Act.

(2) Fees shall be paid in advance to the Regional Transport Authority for the period for which the permit is issued.

(3) A Regional Transport Authority receiving a fee for a permit or the countersignature of a permit shall prepare a separate receipt in Form HP XXXIV RPF for each part B of the permit which shall be delivered to the person tendering the fee.

(4) The fee paid for a permit shall stand forfeited if the permit is subsequently cancelled.

4. Substitution of Section 69-A.— For rule 69-A of the said rule, the following shall be substituted, namely :-

"69-A:- Composite fee for All India Permits:-- There shall be levied, charged and paid to the State Government, a composite fee at the following rates, in respect of tourist vehicles which are authorized to ply in the State of Himachal Pradesh under All India Permits granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, namely:-

(a)	having seating capacity to carry more than twelve passengers excluding driver.	₹2000/- ₹4000/- ₹6500/-	Ordinary. Semi/Deluxe Air Conditioned Per day on 24 hour basis
(b)	having seating capacity to carry more than six passengers but not more than twelve passengers excluding driver	₹1200/- ₹25000/- ₹40000/-	for three days or for six month or for one year
(c)	having seating capacity to carry not more than six passengers excluding the driver	₹500/- ₹3000/- ₹5000/-	for three days or for six month or for one year

By order,
K SANJAY MURTHY,
Principal Secretary (Transport).

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th May, 2014

No.Tsm-A(3)-1/2002-II.—In continuation to this Department's Notification of even number dated 26th August, 2013, 6th September, 2013 & 14th October, 2013, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Major Vijay Singh Mankotia, R/o Om Bhawan, VPO Tiara, District Kangra, H.P. as vice Chairman of H.P. Tourism Development Board with immediate effect.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Tourism & CA).

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 मई, 2014

संख्याः ई0डी0एन0–ख–ख(2)2/2013.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भरत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्याःई0डी0एन0–ए–ख(3)3/98–पार्ट–II तारीख 20–9–2010 द्वारा अधिसूचना हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, में स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग–III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग–III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "क" और "ख" का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध "क" में:––

(क) स्तम्भ संख्या 15–क(VII)(ग एवं ड़) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः––

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी ।

वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिक्तिसा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष कि लिए अग्रनीत नही किया जाएगा ।

(ड़) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात नियमित कर्मचारियों के समरूपतः स्थानातंरण हेतु पात्र होंगे, जहॉ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ऐसे संविदात्मक कर्मचारियों का स्थानांतरण/तैनाती आवश्यकता के आधार पर की जाएगी ।

(ख) उपाबन्ध ख के खण्ड 4 एवं 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"संविदा पर नियुक्त स्नातकोत्तर अध्यापक, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी

बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा ।"

"परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा।"

6. "संवदिा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहॉ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा)।

————————

[*Authoritative English text of this Department Notification No.EDN-B-B*(2)2/2013 *dated* 23-05-2014 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 23*th May,* 2014

No. EDN-B-B(2)2/2013.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Higher Education Department, **Post Graduate Teachers, Class-III** (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified *vide* Notification No. EDN-A-Kha (3)3/98-Part-I dated 20-09-2010, namely:—

1. Short Title And Commencement.—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Post Graduate Teachers Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2014.

(*ii*) These rules shall come into farce from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure "A" and "B".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010:—

Terms and Conditions.—

(A) For the existing provision against Col. No. 15-A(VII) (c&e) the following shall be substituted, namely.

(c) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the Contract employee will also be entitled for 12 week maternity leave and 10 days medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and L.T.C. etc. No. leave of any other kind except above Contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(e) The employee appointed on contract basis shall be eligible for transfer after completion of three years of service, at par with the regular employees on administrative grounds, wherever required. The transfer/posting of such contractual employees will be made on need based basis".

(B) For the existing provisions against Clause 4&6 of Annexure "B" the following shall be substituted, namely:—

(4) "Contractual Post Graduate Teacher will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. However the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity leave and 10 days Medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No. leave of any other kind except above is admissible to the contractual employee."

Provided that the un availed casual leave and Medical leave can ne accumulated to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(6) "An official appointed on contract bases who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Hr. Education).

CHANGE OF NAME

I, Tenzin Thaye s/o Talo, r/o House No. 40, B. T. S. VPO Bir, District Kangra, Himachal Pradesh declare that my son's name and his date of birth and father's name has been wrongly entered in school records as TenzinYounten, 11th April 1995 and Lobsang respectively this correct name is Tenzin Yonten, his correct date of birth is 11th November 1995 and his Father's correct name is Tenzin Thaye. All concerned may note.

TENZIN THAYE
s/o Talo, r/o House No. 40,
B. T. S. VPO Bir,
District Kangra, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है